जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
02/2016

अपील भरण पोषण संख्या 2/2016 अनवानी 1—श्यामसुन्दर 2—नरेशकुमार 3—विपिनकुमार पि0 जगदीशचन्द्र जाति भठेजा निवासी 187 भांभू कॉलोनी श्रीगंगानगर बनाम 1—जगदीश चन्द्र पुत्र रामचन्द्र जाति भठेजा निवासी मीरा चौक नजदीक डोनी आईसक्रीम फैक्ट्री, श्रीगंगानगर 2— स्टेट आफ राज0 जरिये लोक अभियोजक, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

25.10.2016

अपीलार्थीगण को रूक रूक कर बार बार आवाज लगवाई गई किन्तु वे उपस्थित नही आये। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थीगण ने यह अपील उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 27.01.2016 के विरूद्ध माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 16 के अन्तर्गत अपने पिता के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है जिसके द्वारा अपीलार्थीगण श्यामसुन्दर—नरेशकुमार—विपिनकुमार को प्रतिमाह 500—500रू. कुल 1500रूपये प्रतिमाह अदा करने के आदेश दिये गये है।

यह अपील अपीलार्थीगण द्वारा संतान के रूप में इस अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत अपने पिता के विरूद्ध पेश की गई है। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 16 निम्न प्रकार से है:—

> **16.अपील—(1) अधिकरण के आदेश से व्यथित कोई वरिष्ठ नागरिक या माता—पिता, आदेश की तिथि साठ दिवसों के अंदर, अपील अधिकरण के समक्ष अपील दाखिल कर सकेगा:**
>
> **परन्तु** अपील पर, सन्तान या सम्बन्धी, जिससे ऐसे भरण—पोषण आदेश के निबन्धों में किसी धनराशि का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है, ऐसे माता—पिता को अपील अधिकरण द्वारा निर्देशित ढंग में इस प्रकार आदेशित धनराशि का लगातार भुगतान करता रहेगा:

उक्त धारा 16 के अनुसार केवलमात्र माता पिता या वरिष्ठ नागरिक को ही अपनी संतान/संबंधी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया है न कि किसी संतान या संबंधी को अपने माता पिता या वरिष्ठ नागरिक के विरूद्ध अपील करने का अधिकार है।

चूंकि यह अपील अपीलार्थीगण श्यामसुन्दर—नरेशकुमार—विपिनकुमार द्वारा माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 16 के तहत अपने पिता के विरूद्ध पेश की गयी है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2012 सीआर.एल.आर.(एस.सी.) पेज 726 स्टेट आफ बिहार बनाम अरविन्द कुमार वगैरा के पैरा 13 में निम्न प्रकार से आदेश दिये गये है:—

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

13. In Manish Goel Vs. Rohini Goel, AIR 2010 SC 1099, this Courts has held that generally, no Courts has competence to issue a direction contrary to law nor the Court can direct an authority to act in contravention of the statutory provisions. The Courts are meant to enforce the rule of law and not to pass the orders or directions which are contrary to what has been injected by law. [See also- Vice Chancellor, University of Allahabad & Ors. Vs. Dr. Anand prakash Mishra & Ors. (1997) 10 SCC: and Karnataka State Road Transport Corporations Vs. Ashrafulla Khan & Ors..; AIR 2002 SC 629].

उक्त अधिनियम की धारा 16 के अनुसार केवल माता पिता या वरिष्ठ नागरिक को ही अपनी संतान/संबंधी के विरूद्ध इस अपील अधिकरण में अपील प्रस्तुत करने की अधिकारिता है न कि किसी संतान या संबंधी को। अपीलार्थी द्वारा यह अपील संतान की हैसियत से अपने माता पिता के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है जो उक्त विधिक प्रावधानो को देखते हुए सुनवाई के लिए ग्रहण करने योग्य नही है।

इसलिए उक्त विधिक प्रावधानो को देखते हुए यह अपील सुनवाई के लिए ग्रहण करने योग्य न होने के कारण अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली बाद तरतीब तकील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 25.10.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी.सी.किशन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर